DELHI POLICE 2025
CONSTABLE
HCM
AWO/TPO
DRIVER
यकीन बैच
POLITY
विधान मण्डल
(LEGISLATURE)
LIVE
18-03-2025 12:10 PM

Polity → विधान मण्डल / Legislature ✓

कल - राज्यपाल / Governor

- Art 200 :- विधेयकों (Bills) को मंजूरी देना / स्वीकृति :- हस्ता० / Signature → [कानून]
  - पास होने के बाद - अधिनियम / Act
- Art 213 :- राज्यपाल अध्यादेश / ordinence जारी करता है

**विधान मण्डल → Legislature**

भाग / Part - 6

**Art 168** → **विधान मण्डल का गठन / Constitution of Legislature**

अंग - 3
- राज्यपाल / Governor
- विधान सभा / Legislative assembly
- विधान परिषद / Legislative council

**सदन / Houses** :- 2
- **विधान सभा**
- **विधान परिषद**

# विधान सभा – अनुच्छेद - 170

**Art. –170**
- अधिकतक सीट Max. Seats – 500
- कम से कम Min. Seats -60

- अपवाद Exception - सिक्किम - 32 (राज्यो में सबसे छोटी विधान सभा)
  (smallest legislative assembly among the states)
- गोवा - 40
- मिजोरम - 40
- पुदुचेरी - 30 (UT's में सबसे छोटी)
- राज्यों में सबसे बड़ी विधान सभा – UP (403)
- केन्द्रशासित प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा - जम्मू कश्मीर (90)

विधान सभा / Legislative assembly

## सदस्यों का निर्वाचन – Election of members

(MLA) - विधायक

- प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से / From territorial constituencies
- वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है।

  Direct election is done on the basis of adult suffrage. (18 years)

**Note:-** 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा सीटों का आंवटन 2026 तक यही रहेगा।

**Note:-** The allocation of seats by the 84th Constitutional Amendment Act 2001 will remain the same till 2026.

➢ सदस्यों की योग्यताएँ - अनु. 173

Qualifications of the members - Art. 173

- भारत का नागरिक हो,

  Be a citizen of India,

- आयु 25 वर्ष Age 25 years,

- ऐसी योग्ताएँ रखता हो, जो संसद द्वारा बनायी गई हो

  Having such qualifications, which have been made by the Parliament

अनु. 332 - विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

Art,. 332 - Reservation has been made for Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the basis of population in the Legislative Assembly.

सदस्यों की अनर्हता पर विनिश्चय - अनु. 192

Decision on disqualification of members - Art. 192

कार्यकाल :- अनु. 172 - 5 साल

Tenure :- Art. 172 - 5 years

## ➢ पदाधिकारी Officer

अनु. 178 - विधानसभा में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष

Art,. 178 - A Speaker and a Deputy Speaker in the Legislative Assembly

## विधान परिषद् - अनु. 169

## Legislative Council - Art. 169

- अन्य नाम - उच्च सदन, स्थायी सदन

  Other Names - Upper House, Permanent House

- अनु. 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधानपरिषद् बनाने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है।

  Art. 169, the Parliament has been empowered to create or abolish the Legislative Council in any state.

**नोटः-** अनु. 168 के तहत आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पं. बंगाल, में विधान मंण्डल द्विसदनीय होगा।

**Under Article 168, the legislature in Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra, Punjab, Karnataka, Uttar Pradesh, West Bengal will be bicameral.**

- **1969 में पंजाब तथा पं. बंगाल / Punjab and Pt. Bengal in 1969**
- **1985 में आन्ध्र प्रदेश / Andhra Pradesh in 1985**

-विधान परिषद को समाप्त कर दिया।

- **1986 में तमिलनाडु, विधान परिषद् को समाप्त कर दिया गया।**

**In 1986, the Tamil Nadu Legislative Council was abolished.**

- नोटः- 7वें संविधान संशोधन द्वारा मध्य प्रदेश में विधान परिषद् का प्रावधान था परन्तु उसका गठन नहीं किया गया।

Note:- There was a provision for Legislative Council in Madhya Pradesh by the 7th Constitutional Amendment, but it was not constituted.

- राज्य के पुनर्गठन के समय कुल पाँच राज्य में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय विधायिकायें थी।

Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Jammu and Kashmir had bicameral legislatures in total five states at the time of reorganization of the state.

- 2007 में आन्ध्र प्रदेश में विधान परिषद को पुनः स्थापित किया गया।

  In 2007, the Legislative Council was re-established in Andhra Pradesh.

- 2014 में तेंलगाना में विधान परिषद का गठन किया।

  Legislative Council was formed in Telangana in 2014.

- विधान परिषद का गठन - अनु. 171

  Constitution of the Legislative Council - Art. 171

(structure of Legislative council.

वर्तमान विधान परिषद / current Legislative assembly - 6

UKMBAI

उत्तर प्देश बिहार
महाराष्ट्र

- **सदस्यों का निर्वाचन - अनु. 171 (3)** Election of members - Art. 171 (3)

विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपादिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।

The members of the Legislative Council are elected indirectly according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote.

1. **विधान सभा का निर्वाचक मण्डल -** विधान परिषद के एक तिहाई (1/3) सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा

   Electoral College of the Legislative Assembly - One-third (1/3) members of the Legislative Council are elected by the members of the Legislative Assembly.

2. स्थानीय संख्याओं का निर्वाचक मण्डल - विधान परिषद के (1/3) सदस्य नगरपालिकाओं, जिला पंचायतों तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा।

Electoral college of local numbers - (1/3) members of the Legislative Council by municipalities, district panchayats and other local institutions.

3. शिक्षकों का निर्वाचक मण्डल - विधान परिषद के सदस्य का (1/12) भाग माध्यमिक विद्यालयों में या उच्च शिक्षण संस्थाओं में से कम से कम तीन वर्ष से शिक्षण कर रहे अध्ययपकों द्वारा।

Electoral college of teachers - (1/12) part of the members of the Legislative Council by teachers who have been teaching for at least three years in secondary schools or higher education institutions.

**4. स्नातकों का निर्वाचक मण्डल-** विधान परिषद के सदस्य का (1/12) भाग स्नातकों द्वारा जिन्हें स्नातक किये तीन वर्ष हो चुके है। **Electoral college of graduates- (1/12) part of the members of the Legislative Council by the graduates who have completed three years of graduation.**

**5. राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य-** विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का (1/6) भाग

**Members nominated by the Governor - (1/6) of the total number of members of the Legislative Council**

साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन अथवा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वालों को मनोनीत। **Nominated to those having special knowledge or experience in the field of literature, science, art, co-operative movement or social service.**

## सदस्यों की योग्यताएँ - अनु. 173 Qualifications of members - Art. 173

- भारत का नागरिकों citizens of india
- आयु - 30 वर्ष Age - 30 Years
- कार्यकाल - स्थायी सदन है Tenure - Permanent House

## सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष Tenure of members 6 years

- प्रत्येक दूसरे वर्ष एक तहाई सदस्य रिटायर।

  One-third of the members retire every second year.